न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
(बईजलास पीठासीन अधिकारी शैलेश सुराणा आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. – 26/2018 दिनांक 30.05.2019

उनवान

1– भग्गा पिता श्री नेत्या जाति मीणा आयु 37 वर्ष निवासी डबेला तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ
2– श्रीमती दोलकी पत्नि स्व. नेत्या जाति मीणा आयु 58 वर्ष निवासी डबेला तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

–– वादीगण

बनाम

1– श्री कालु पिता रामा जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी डबेला
2– श्री शम्भू पिता रामा जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी डबेला
3– श्री उदा पिता रामा जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी डबेला
4– श्री कैलाश पिता रामा जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी डबेला
5– श्री देवा मुतबन्ना नाथू जी जाति मीणा आयु वयस्क निवासी डबेला
6– श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सा. बड़ीसादड़ी

–– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि खतौनी संख्या 32 की आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 0.2700 हे. लगानी 1.89 रूपया, नम्बर 205 रकबा 0.1700 हे. लगानी 2.72 रूपया, नम्बर 210 रकबा 0.2300 हे. लगानी 3.68 रूपया , नम्बर 212 रकबा 0.2000 हे. लगानी 3.20 रूपया , नम्बर 224 रकबा 0.3100 हे. लगानी 4.96 रूपया, नम्बर 232 रकबा 0.1400 हे. लगानी 2.66 रूपया, नम्बर 233 रकबा 0.2900 हे. लगानी 5.51 रूपया, नम्बर 236 रकबा 0.3000 हे. लगानी 5.70 रूपया , नम्बर 237 रकबा 0.2300 हे. लगान 0.69 रूपया, नम्बर 238 रकबा 0.3500 हे. लगान 1.05 रूपया , नम्बर 240 रकबा 0.4600 हे. लगान 1.38 रूपया, नम्बर 241 रकबा 0.0300 हे.गे.मु.आ.चा., नम्बर 242 रकबा 0.0400 हे. लगान 0.76 रूपया कुल किता 13 रकबा 3.0200 हे. लगानी 34.20 रूपया ग्राम डबेला पटवार सर्कल बानसी तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है। इन आराजियात को सुविधा की दृष्टि से आगे वादग्रस्त आराजियात/भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा ।

" वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वंशावली निम्नानुसार है –

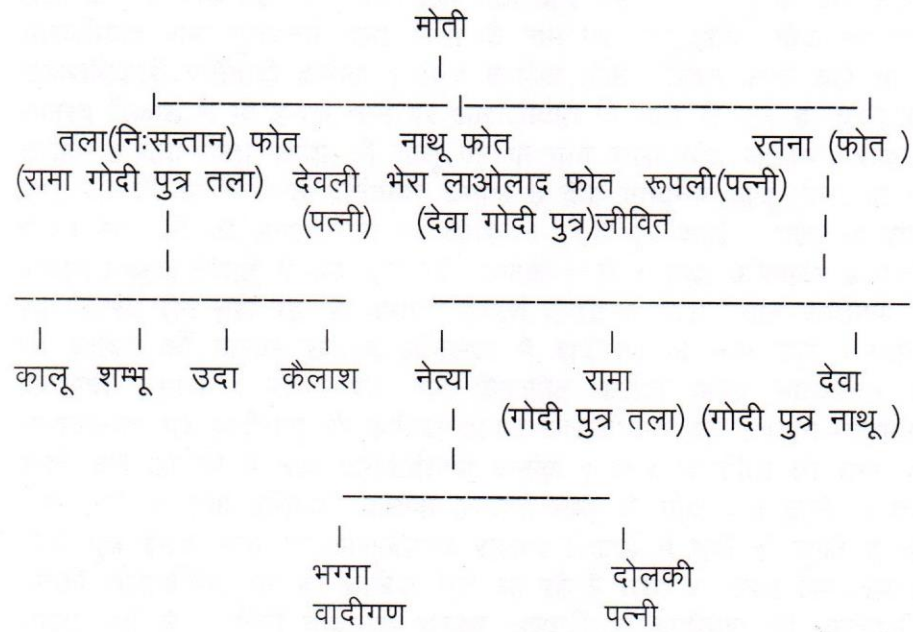

उक्त वंशावली के अनुसार मूल पुरूष मोती जी थे जिनके तीन पुत्र क्रमशः तला, नाथू व रतना हुए। तला जी के कोई पुत्र–पुत्री याने उत्तराधिकारी नहीं थे जिन्होनें अपने बड़े भाई रतना के पुत्र रामा जी को गोद लिया, तला जी की सम्पत्ति पर रामा जी ही काबिज थे, तला जी की मृत्यु हो जाने के बाद तला जी के नाम की खातेदारी भूमि उसकी पत्नी देवली के नाम पर दर्ज हुई । देवली की मृत्यु के बाद विरासत से देवली बेवा तला की खातेदारी भूमि विरासत से श्री रामा मुतबन्ना तला के नाम दर्ज हुई तथा रामा जी को तल्ला जी का गोदी पुत्र के नाम से ही जाना जाता है। रामा जी का देहान्त होने के बाद रामा मुतबन्ना तला की खातेदारी भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 क्रमशः कालू, शम्भू, उदा, कैलाश के नाम पर दर्ज हुई तथा वर्तमान में इन्हीं के कब्जेयाबी होकर उपयोग–उपभोग में है ।

श्री नाथू जी के एक पुत्र भेरा व पत्नी श्रीमती रूपली थे, भेरा जी अविवाहित थे, जिसका देहान्त हो गया था, रूपली ने वंश चलाने के लिये जाति रिवाज अनुसार अपने देवर रतना के पुत्र देवा को गोद रखा । रूपली की सम्पत्ति पर देवा जी ही काबिज है, रूपली की मृत्यु हो जाने के बाद रूपली के नाम की खातेदारी भूमि देवा मुतबन्ना नाथू के नाम दर्ज हुई तथा देवाजी को नाथू जी का गोदी पुत्र के नाम से ही जाना जाता है ।

नेत्या जी फोत हो चुके है, जिनके विधिक वारीस वादीगण क्रमशः भग्गा पुत्र व श्रीमती दोलकी पत्नी है। मृतक रामा जी अपने जीवनकाल में ही अपने पिता के छोटे भाई तला के गोद चले गये तथा उनकी सम्पत्ति तथा दायित्व को पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया था तथा देवा जी भी अपने पिता रतना जी के छोटे भाई नाथू की पत्नी रूपली के गोद चले गये तथा उनकी सम्पत्ति तथा दायित्व का निर्वहन पुत्र के रूप में ही करते चले आ रहे है तथा उनकी सम्पत्ति पर काबिज है, इसलिए वादीगण प्राकृतिक पिता की खातेदारी वादग्रस्त आराजीयात में से प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 क्रमशः कालू, शम्भू

उदा, कैलाश पिता रामा जी तथा प्रतिवादी क्रमांक 05 देवा का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित करवाकर अपने नाम पर खातेदारी की घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है।

वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 क्रमशः कालू, शम्भू, उदा, कैलाश पिता रामा का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रमांक 5 देवा पिता रतना 1/3 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित है लेकिन मृतक श्री रामा पिता रतना अपने प्राकृतिक पिता के बड़े भाई तला के गोद चला गया और तला की मृत्यु के बाद तला की सम्पूर्ण आराजीयात रामा मुतबन्ना तला मीणा के नाम पर दर्ज होकर मौके पर रामा मृतक के उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में भी इनके नाम पर आराजीयात विरासत से दर्ज हो चुकी है । प्रतिवादी क्रमांक 5 देवा पिता रतना, श्री नाथू जी के गोद चला गया था तथा राजस्व रिकॉर्ड में नाथू जी की आराजीयात प्रतिवादी क्रमांक 5 देवा मुतबन्ना नाथू मीणा के नाम पर दर्ज होकर नाथू जी की आराजीयात पर बहैसियत गोदी पुत्र काबिज चला आ रहा है इसलिये वादग्रस्त आराजीयात में अब प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 तथा प्रतिवादी क्रमांक 5 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है, अतएव सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज कराया जाना तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 का नाम विलोपित कराया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण ही काबिज होकर आराजीयात का उपयोग–उपभोग शांतिपूर्वक करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 4 के पिता श्री रामा, तला के गोद चले जाने से तथा प्रतिवादी क्रमांक 5 देवा, नाथू के गोद चले जाने से तथा बहैसियत गोदी पुत्र इनके नाम पर आराजीयात राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है और मौके पर उनकी आराजीयात पर ही काबिज चले आ रहे है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर इनका कब्जा नहीं है इसलिये वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण की खातेदारी की घोषित कराई जाकर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 का नाम विलोपित कराया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 एवं 5 का नाम अंकित होने से वे वादग्रस्त आराजीयात के भू भाग को हस्तांतरण कर सकते है, इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना न्यायोचित है कि वे वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भू भाग को रहन, बय, बक्षीश या अन्य तरीके से हस्तांतरीत न करें, न करावे तथा वादीगण के वैध कब्जे में किसी तरह की दखलंदाजी न करें, न करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरौज पेशी प्रतिवादी नं. 1 से 4 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये । प्रतिवादी नं. 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुये मुताबिक दावा वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पक्ष में डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने तथा इसमें पूर्णतया सहमति होने का कथन किया गया ।

इकबालिया जवाब प्रस्तुत होने से तनकीयात कायम नहीं की गई ।

शहादत वादी में वादी भग्गा, दोलकी व गवाह भीमा, वजेराम के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये।

दिनांक 28.01.2019 को वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 का प्रस्तुत किया जिसे बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया । तत्पश्चात वादीगण द्वारा संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे रिकोर्ड पर लिया गया ।

वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम डबेला पटवार सर्कल बानसी तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है। अधिवक्ता वादी के अनुसार पारिवारीक सजरा इस प्रकार है –

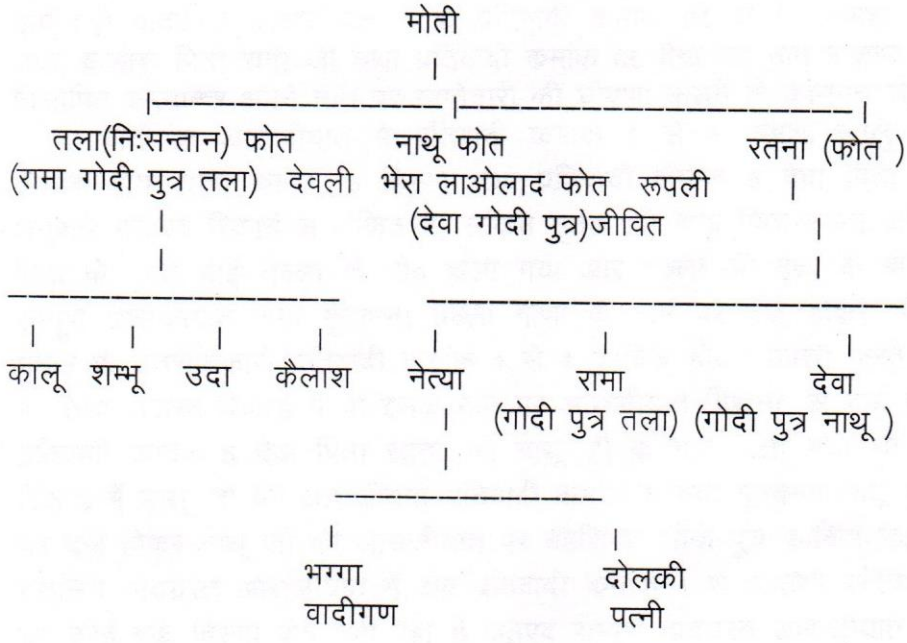

मूल पुरूष मोती जी थे, जिनके तीन पुत्र कमशः तला, नाथू व रतना हुए। तला जी के कोई पुत्र–पुत्री यानि उत्तराधिकारी नहीं थे, उन्होनें अपने बड़े भाई रतना के पुत्र रामा जी को गोद लिया, तला जी की सम्पत्ति पर रामा जी ही काबिज थे, तला जी की मृत्यु हो जाने के बाद तला के नाम की खातेदारी भूमि उसकी पत्नी देवली के नाम पर दर्ज हुई। देवली की मृत्यु के बाद विरासत से देवली बेवा तला की खातेदारी भूमि विरासत से नामान्तरणकरण संख्या 109 दिनांक 14–03–1986 को श्री रामा मुतबन्ना तला मीणा के नाम दर्ज हुई तथा रामा जी को तल्ला जी का गोदी पुत्र के नाम से ही जाना जाता है। रामा जी का देहान्त होने के बाद रामा मुतबन्ना तला मीणा की खातेदारी भूमि विरासत से नामान्तरणकरण संख्या 175 दिनांक 17–12–2004 को रामा के बजाय प्रतिवादी कमांक 1 से 4 कमशः कालू, शम्भू, उदा, कैलाश पिता रामा, मु. हीरकी बेवा रामा के नाम पर दर्ज हुई, हीरकी फोत हो गई थी जिसका नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया । वर्तमान में इन्हीं के कब्जेयाबी होकर उपयोग–उपभोग में है । जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 की प्रस्तुत कर रखी है, जिससे इसकी पुष्टि होती है।

श्री नाथू जी के एक पुत्र भेरा व पत्नी श्रीमती रूपली थे। नाथू जी के फोत होने के बाद नाथू जी के नाम की खातेदारी भूमि भेरा पिता नाथू मीणा के नाम पर दर्ज हुई। श्री भेरा जी अविवाहित थे जिनका देहान्त होने के कारण उक्त खातेदारी भूमि मुसम्मात रूपली के नाम पर दर्ज हुई। रूपली बाई ने वंश चलाने के लिये अपने जीवनकाल में अपने देवर रतना के पुत्र देवा को गोद लिया । रूपली का देहान्त होने के बाद रूपली के नाम की खातेदारी भूमि नामान्तरणकरण संख्या 133 से विरासत से देवा मुतबन्ना नाथू मीणा के नाम पर दर्ज हुई, इसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2049 से 2052 में अंकित दाखिले से होती है। नाथू जी की सम्पत्ति पर देवा जी ही काबिज है तथा देवाजी को नाथू जी का गोदी पुत्र के नाम से ही जाना जाता है।

रतना जी फोत हो चुके है, जिनके विधिक वारीस वादीगण कमशः 1 भग्गा पुत्र व कमांक 2 श्रीमती दोलकी पत्नी है। मृतक रामा जी ने अपने जीवनकाल में ही अपने पिता के छोटे भाई तल्ला के गोद चले गये तथा उनकी सम्पत्ति तथा दायित्व को पुत्र के रूप में ग्रहण कर लिया था तथा देवा जी भी अपने पिता रतना जी के छोटे भाई नाथू के गोद चले गये तथा उनकी सम्पत्ति तथा दायित्व का निर्वहन पुत्र के रूप में ही करते चले आ रहे है तथा उनकी सम्पत्ति पर काबिज है इसलिए वादीगण प्राकृतिक पिता की

खातेदारी वादग्रस्त आराजीयात में से प्रतिवादी कमांक 01 से 04 कमशः कालू, शम्भू, उदा, कैलाश पिता रामा जी तथा प्रतिवादी कमांक 05 देवा का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित करवाकर अपने नाम पर खातेदारी की घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है ।

वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी कमांक 1 से 4 कमशः कालू, शम्भू, उदा, कैलाश पिता रामा का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी कमांक 5 देवा पिता रतना 1/3 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित है, लेकिन मृतक श्री रामा पिता रतना अपने प्राकृतिक पिता के बड़े भाई तल्ला के गोद चला गया और तल्ला की मृत्यु के बाद तल्ला की सम्पूर्ण आराजीयात रामा मुतबन्ना तल्ला मीणा के नाम पर दर्ज होकर मोके पर रामा मृतक के उतराधिकारी प्रतिवादी कमांक 1 से 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में भी इनके नाम पर आराजीयात विरासत से दर्ज हो चुकी है । प्रतिवादी कमांक 5 देवा पिता रतना, श्री नाथू जी के गोद चला गया था तथा राजस्व रिकार्ड में नाथू जी की आराजीयात प्रतिवादी कमांक 5 देवा मुतबन्ना नाथू मीणा के नाम पर दर्ज होकर नाथू जी की आराजीयात पर बहैसियत गोदी पुत्र काबिज चला आ रहा है इसलिये वादग्रस्त आराजीयात में अब प्रतिवादी कमांक 1 से 4 तथा प्रतिवादी कमांक 5 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है अतएव सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज कराया जाना तथा प्रतिवादी कमांक 1 से 5 का नाम विलोपित कराया जाना न्यायोचित है।

प्रतिवादी कमांक 5 देवा मुतबन्ना नाथू मीणा ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अधिवक्ता के मार्फत ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा वाद सही तथ्यों पर पेश करना स्वीकार किया तथा वादानुसार वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण के नाम पर दर्ज करने में प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने का तथ्य दर्ज किया है। प्रतिवादी कमांक 1 से 4 कमशः कालु, शम्भू, उदा , कैलाश बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये । अधिवक्ता वादी के अनुसार उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि न्यायिक दृष्टान्त न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अपील/डिक्री/82/94 बुन्दी बद्रीलाल बनाम जगन्नाथ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23–07–98 के अनुसार होती है। नामान्तरणकरण संख्या 109 की प्रमाणित प्रति व जमाबंदी सम्वत 2041 से 2044 की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है कि रामा, तला जी के गोद गया और तला की आराजीयात पर रामा जी काबिज थे। रामा जी के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 काबिज है। नामान्तरणकरण संख्या 133 व जमाबंदी सम्वत 2049 से 2052 में अंकित दाखिला देवा मुतबन्ना नाथू मीणा से स्पष्ट है कि देवा, नाथू के गोद चला गया और नाथू की सम्पत्ति पर बहैसियत गोदी पुत्र काबिज है। कोई भी व्यक्ति किसी के गोद चले जाने के बाद उसके प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कानूनन किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं रखता है।

अधिवक्ता वादीगण ने अंत में निवेदन किया कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात वादीगण के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में अंकित करायी जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से विलोपित कराये जाने के आदेश पारित किये जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय लिखित बहस पर चिन्तन व मनन किया । वादीगण का मुख्य कथन यह है कि वादीगण के पिता श्री नेत्या, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के पिता श्री रामा तथा प्रतिवादी सं. 5 श्री देवा आपस में सगे भाई थे, जिनमें से श्री रामा, श्री तला के गोद चले गये तथा श्री तला की पत्नी श्रीमती देवली की मृत्यु के पश्चात श्री तला की

खातेदारी आराजियात भूमि नामान्तरण सं. 109 दिनांक 14.03.1986 को श्री रामा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई । इसी प्रकार श्री देवा, श्री नाथू की पत्नी श्रीमती रूपली के गोद चले गये थे तथा श्रीमती रूपली की मृत्यु के पश्चात उसकी खातेदारी आराजियात भूमि नामान्तरण सं. 133 से प्रतिवादी सं. 5 देवा मुतबन्ना नाथू के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। अपने कथनों की पुष्टि हेतु वादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली है। यद्यपि किसी भी दस्तावेज साक्ष्य को प्रदर्श नहीं कराया गया है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 23.07.1998 को अपील/डिक्री/82/94 बून्दी बद्रीलाल बनाम जगन्नाथ व अन्य में पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत करते हुये लिखित बहस में कथन किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी के गोद चले जाने के बाद उसके प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कानूनन किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं रखता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी चूंकि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के पिता श्री रामा तथा प्रतिवादी सं. 5 श्री देवा अन्यत्र गोद चले गये है, ऐसी स्थिति में श्री रामा तथा श्री देवा के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज उनके प्राकृतिक पिता श्री रतना की वादग्रस्त खातेदारी भूमि में से उनका नाम विलोपित कर वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जावे ।

यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि इसी न्यायिक दृष्टांत में यह भी उल्लेखित है कि यदि गोद जाने वाला व्यक्ति गोद जाने से पूर्व अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त कर लेता है तो यह अवश्य गोद जाने के बाद भी रखने का अधिकारी होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा कोई लिखित गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही श्री रामा तथा श्री देवा के गोद जाने की कोई तिथि ही अंकित की है। ऐसी स्थिति में वादपत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के पिता श्री रामा तथा प्रतिवादी सं. 5 श्री देवा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई उनके प्राकृतिक पिता श्री रतना की वादग्रस्त आराजियात उनके गोद जाने के बाद दर्ज हुई अथवा गोद जाने से पूर्व । दूसरी तरफ अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सवंत 2010–201 के खाता सं. 26 में वादग्रस्त आराजियात श्री रतना के नाम दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 2029–32 (वर्ष 1972–75) के खाता सं. 14 में वादी सं. 1 के पिता, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के पिता तथा प्रतिवादी सं. 5 के प्राकृतिक पिता श्री रतना की खातेदारी भूमि वादीगण के पिता/पति श्री नेत्या तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता श्री रामा एवं प्रतिवादी सं. 5 श्री देवा के नाम दर्ज है। इसी जमाबंदी में इस प्रविष्टि के साथ नामान्तरण सं. 35 दिनांक 22.05.1971 का दाखिला लगा है। इस जमाबंदी से स्पष्ट है कि वादी सं. 1 तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 5 के प्राकृतिक पिता श्री रतना की मृत्यू दिनांक 22.05.1971 से पूर्व हो चुकी थी तथा इस वक्त तक श्री रामा कहीं अन्यत्र गोद नहीं गये थे, क्यूकि यदि गोद गये होते तो उनके प्राकृतिक पिता श्री रतना की वादगस्त आराजियात भूमि में उनका नाम विरासत से दर्ज नहीं होता ।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि श्री तला जी ने अपने जीवनकाल में अपने भाई श्री रतना के पुत्र श्री रामा को गोद लिया था तथा श्री तला की मृत्यु के पश्चात उनकी खातेदारी भूमि विरासत से उनकी पत्नी श्रीमती देवली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई । लेकिन यदि श्री तला ने अपने जीवनकाल में ही श्री रामा को गोद लिया होता तो श्री तला की मृत्यु के पश्चात उनका गोदीपुत्र होने के नाते श्री रामा का नाम भी विरासतन अपने गोद पिता श्री तला की खातेदारी भूमि में उनकी पत्नी श्रीमती देवली के नाम के साथ दर्ज होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।वादीगण द्वारा

प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2041–44 (वर्ष1984–87) के खाता सं. 11 में श्री तला की खातेदारी भूमि श्रीमती देवली के नाम दर्ज है। इसी जमाबंदी में खातेदार के नाम के नीचे नामान्तरण सं. 85 का हवाला दिया है। अर्थात गत रोटेशन जमाबंदी 2037–40 (वर्ष1980–83) में श्री तला की खातेदारी भूमि उसकी पत्नी श्रीमती देवली के नाम दर्ज हुई थी। यदि वर्ष 1980 तक श्री रामा को श्री तला ने गोद रखा होता तो श्री तला की खातेदारी भूमि में श्री रामा का नाम भी विरासतन दर्ज हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । श्रीमती देवली की मृत्यु के पश्चात दायर नामान्तरण सं. 109 दिनांक 14.03.1986 से श्री रामा का नाम श्रीमती देवली के खातेदारी भूमि में विरासतन दर्ज हुआ। जबकि अपने प्राकृतिक पिता श्री रतना की वादग्रस्त आराजीयात में श्री रामा का नाम विरासत से वर्ष 1972 से पूर्व ही दर्ज हो चुका था। यद्यपि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है तथा न ही उनके द्वारा अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने मात्र से या उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने मात्र से वादीगण का वाद स्वतः सिद्ध नहीं हो जाता है। वाद अपने पैरो पर खड़ा होता है, वादीगण को अपना वाद अपने साक्ष्यों से सिद्ध करना होता है। लेकिन प्रस्तुत मामले में वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के पिता श्री रामा अपने प्राकृतिक पिता श्री रतना की मृत्यु के पश्चात उनकी वादग्रस्त आराजियात भूमि में हक प्राप्त करने से पूर्व ही श्री तला के गोद चले गये थे।

जहां तक प्रतिवादी सं. 5 श्री देवा का प्रश्न है तो अधिवक्ता वादीगण ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि श्री नाथू की मृत्यु के पश्चात उसकी खातेदारी भूमि उसके अविवाहित पुत्र श्री भेरा के नाम दर्ज हुई तथा भेरा की मृत्यु के पश्चात उसकी (श्री नाथू) पत्नी श्रीमती रूपली देवी के नाम दर्ज हुई तथा श्रीमती रूपली बाई ने अपना वंश चलाने के लिये अपने देवर रतना के पुत्र श्री देवा को गोद लिया । वादीगण के अनुसार श्री नाथू का पुत्र श्री भेरा अविवाहित था लेकिन वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण सं. 133 तथा जमाबंदी संवत 2049–52 के खाता सं. 36 में श्रीमती रूपली को भेरा की पत्नी बता रखा है। सवंत 2021–24 (1964–67) की जमाबंदी के खाता सं. 18 में श्री नाथू की खातेदारी आराजियात श्री भेरा के नाम दर्ज है। इसी खाता सं. 18 के सम्मुख लगाये गये दाखिले में श्री भेरा को फोत होना बताया है। यद्यपि वादपत्र में भेरा की मृत्यु की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इस दाखिले से यही प्रतीत होता है कि वर्ष 1964 से 67 के मध्य श्री भेरा की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण दर्ज हुआ था। अधिवक्ता वादीगण की लिखित बहस अनुसार श्री भेरा की मृत्यु के पश्चात श्रीमती रूपली बाई ने अपना वंश चलाने के लिये श्री देवा को गोद रखा था । प्रतिवादी सं. 5 श्री देवा ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुये स्वयं को श्री नाथू के गोद जाना स्वीकार किया तथा अपने प्राकृतिक पिता श्री रतना की वादग्रस्त आराजियात में से अपना नाम विलोपित करने तथा अपना हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज करने बाबत सहमति प्रदान की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के पिता श्री रामा के अपने प्राकृतिक पिता श्री रतना की मृत्यु के पश्चात उनकी वादग्रस्त खातेदारी भूमि में अपना हक प्राप्त करने से पूर्व ही श्री तला के गोद चले जाने के तथ्य को साक्ष्यों से सिद्ध करने में असफल रहे है जबकि प्रतिवादी सं. 5 श्री देवा के ईकबाली जवाब तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से श्री देवा के अपने प्राकृतिक पिता श्री रतना की मृत्यु के पश्चात उनकी खातेदारी वादग्रस्त भूमि में अपना हक प्राप्त करने से पूर्व ही श्रीमती रूपली के गोद चले जाने के तथ्य की पुष्टि होती है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम डबेला की वर्तमान जमाबंदी सवंत 2072 – 2075 के खाता सं. 32 में दर्ज वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 179 रकबा 0.2700 हे. लगानी 1.89 रूपया, नम्बर 205 रकबा 0.1700 हे. लगानी 2.72 रूपया, नम्बर 210 रकबा 0.2300 हे. लगानी 3.68 रूपया , नम्बर 212 रकबा 0.2000 हे. लगानी 3.20 रूपया , नम्बर 224 रकबा 0.3100 हे. लगानी 4.96 रूपया, नम्बर 232 रकबा 0.1400 हे. लगानी 2.66 रूपया, नम्बर 233 रकबा 0.2900 हे. लगानी 5.51 रूपया, नम्बर 236 रकबा 0.3000 हे. लगानी 5.70 रूपया, नम्बर 237 रकबा 0.2300 हे. लगान 0.69 रूपया, नम्बर 238 रकबा 0.3500 हे. लगान 1.05 रूपया , नम्बर 240 रकबा 0.4600 हे. लगान 1.38 रूपया, नम्बर 241 रकबा 0.0300 हे. गे.मु.आ.चा., नम्बर 242 रकबा 0.0400 हे. लगान 0.76 रूपया कुल किता 13 रकबा 3.0200 हे. में प्रतिवादी सं. 5 श्री देवा पिता रतना का नाम विलोपित किया जाकर श्री देवा का 1/3 हिस्सा वादीगण श्री भग्गा पिता नेत्या, श्रीमती दोलकी पत्नी नेत्या के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की घोषणा की जाती है। जबकि प्रतिवादी सं. 1 लगायात 4 श्री कालु, शम्भु, उदा, कैलाश पिता रामा के 1/3 हिस्सा भूमि तक वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाता है।

तदनुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 30.05.2019 को सुनाया गया ।

30/05/19

शैलेश सुराणा
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official